न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 189/2017 (223 आरटीए) कलाराम बनाम लाखाराम वगै.

1 कलाराम पुत्र श्री बन्नाराम जाति कुम्हार निवासी माडपुरा सानी तहसील व जिला बाड़मेर।

..... अपीलांट

बनाम

1 लाखाराम पुत्र श्री बन्नाराम,
2 भूराराम पुत्र श्री बन्नाराम,
3 उदाराम पुत्र श्री बन्नाराम,
4 हरचंदराम पुत्र श्री बन्नाराम,
5 मीरोदेवी पत्नी भूराराम,
6 लूणीदेवी पत्नी भंवरलाल,
7 देउ पुत्री भंवरलाल,
8 मांगी पुत्री भंवरलाल,
9 मूली पुत्री भंवरलाल
जाति कुम्हार निवासी माडपुरा सानी तहसील व जिला बाड़मेर।
10 तहसीलदार बाड़मेर।

..... रेस्सपोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर दिनांक 19.04.2017 अंतर्गत राजस्व वाद सं. 27/2012

उपस्थित :

1 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री एम.एल. खत्री।
2 रेस्पो. सं. 1 व 6 से 9 की ओर से अधिवक्ता श्री रूपेश कुमार विश्नोई।
3 रेस्पो. सं. 2 से 5 की ओर अधिवक्ता श्री राजेश प्रजापत।
4 रेस्पो. सं. 10 अनुपस्थित।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

निर्णय

दिनांक : 28.05.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर के राजस्व वाद सं. 27/2012 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.04.2017 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने के लिए अपील के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम भी पेश किया गया।

28/5 अधिकारी

2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर के समक्ष धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पो. सं. 1 की ओर से राजस्व वाद सं. 27/2012 पेश किया गया कि वादी प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नं. 295, 272/298 व 675/298 वाके मौजा माडपुरा सानी तहसील बाड़मेर में हैं जिसे आगे विवादित आराजी कहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व जवाबदावा, तनकीयात आदि पर ध्यान नहीं देकर एक तरफा आदेश पारित किया जिसके विरुद्ध राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर में प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2016 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.03.2017 में दिए गए निर्देशों की पालना नहीं कर अंतिम निर्णय व डिक्री पारित कर दी। जिससे क्षुब्ध होकर अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.04.2017 के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील बउज्र मियाद दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलाट की ओर से अधिवक्ता श्री एम.एल. खत्री ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन डिक्री एवं निर्णय को पारित करने में विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.06.2016 को प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार बाड़मेर से मंगवाया गया था। प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय दिनांक 22.06.2016 के विरुद्ध रेस्पो. सं. 2 से 5 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय की प्राथमिक डिक्री व निर्णय के विरुद्ध राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर में अपील पेश की गई जिस पर राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की प्राथमिक डिक्री व निर्णय को दिनांक 01.03.2017 को अपास्त किया जाकर पुनः पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए निर्णय पारित करने हेतु आदेश दिया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 18.04.2017 को दुबारा पत्रावली दर्ज की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.06.2016 को जारी प्राथमिक डिक्री जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर द्वारा अपास्त किया जा चुका है के निरस्त आदेश पर पूर्व में आए एक पक्षीय विभाजन प्रस्ताव के आधार पर ही दूसरे दिन दिनांक 19.04.2017 को अंतिम डिक्री जारी की गई। जबकि तहसीलदार स्वयं ने मौके पर न जाकर हल्का पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक से विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु कहा गया जिस पर पटवारी व आई.एल.आर. ने रेस्पोडेंट्स के साथ

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

मिलीभगत करते हुए मौके पर पक्षकारान के विरुद्ध बहामी बंटवारे व कब्जा काश्त के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया। मौके की स्थिति व कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया तथा मौके पर कोई विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं करवाया गया। अपीलांट के विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर व अंगूठा निशान नहीं हैं हल्का पटवारी व आई.एल.आर. ने अपनी मनमर्जी से विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर किए बिना ही व विधिक प्रक्रिया अपनाए बिना ही अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की गई है। विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अपीलांट के हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि व उनके रहवास की ढाणी आदि रेस्पो. के हिस्से में चली गई हैं। अपीलांट द्वारा वर्षों से मेहनत कर उपजाउ बनाई गई भूमि से वंचित होना पड़ेगा तथा अपनी वर्षों पुरानी ढाणी से वंचित होना पड़ेगा। अतः अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किए जाने योग्य है। अपीलांट को स्वयं तहसीलदार द्वारा मौके पर पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार करवाने एवं प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पुनः सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर निर्णय पारित करने के निर्देश दिए जावें।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील देरी से प्रस्तुत करने के संबध में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट की अनुपस्थिति पारित करने के कारण उसको जानकारी नहीं हो सकी। मौके पर जब रेस्पोडेंट जबरन बेदखल करने की नियत से अपीलांट को धमकी देने पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 11.12.2017 को प्रस्तुत की गई व दिनाक 21.12.2017 को नकल प्राप्त होने पर निर्णय व डिक्री की पूर्ण जानकारी हुई। अतः अपील पेश करने में सद्भाविक रूप से हुए बिलंब को माफ कर अपील अंदर मियाद शुमार कर मैरिट पर निस्तारण करने का निवेदन किया।

5 रेस्पो. सं. 1 व 6 से 9 की ओर से अधिवक्ता श्री रूपेश कमार विश्नोई ने बहस में अपीलांट के अधिवक्ता की बहस का समर्थन करते हुए अपील को स्वीकार कर प्रकरण को रिमाण्ड करने का निवेदन किया।

6 रेस्पो. सं. 2 से 5 के अधिवक्ता श्री राजेश प्रजापत ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सभी पक्षकारान को सुनकर एवं सभी पक्षकारान के सहमत होने से अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधि अनुसार पारित की है। अपीलांट की अपील सहमति से होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त रेस्पो. के अधिवक्ता श्री राजेश प्रजापत ने यह भी कथन किया कि अपीलांट की अपील मियाद बाहर है जो मियाद बाहर होने से भी खारिज योग्य है। तदनुसार अपील खारिज करने का निवेदन किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि

अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सूचना दिए वगैर एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिए बगैर एवं न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर के निर्णय दिनांक 01.03.2017 द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना किए बगैर ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना जाहिर होता है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 18.04.2017 के अनुसार पूर्व में जारी प्राथमिक डिक्री के संबंध में केवल पत्रावली पेश होना अंकित है। लेकिन प्राथमिक डिक्री के संबंध में पक्षकारान की कोई आपत्ति या सहमति दर्ज नहीं हैं। इस आदेशिका में यह दर्ज है कि वकुलाय फरीकेन उपस्थित, प्रतिवादी सं.1 से 3 व मीरा उपस्थित वकुलाय फरीकेन एवं पक्षकारान द्वारा उपस्थित होकर आवेदन इस आशय के प्रस्तुत किए कि तहसीलदार बाड़मेर से इस प्रकरण में जो विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ वह पक्षकारान के कब्जा काश्त एवं हिस्सानुसार ही है। लिहाजा तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है तो सभी पक्षकारान सहमत हैं। बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 19.04.2017 को पेश हो। दिनांक 19.04.2017 को प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी कर दी गई। प्रकरण में अपीलांट द्वारा केवल अंतिम डिक्री की अपील की गई है अतः प्राथमिक डिक्री पर अपीलांट का कोई ऐतराज स्वीकार किए जाने योग्य नहीं हैं।

उक्त स्थिति से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर द्वारा रिमाण्ड आदेश की पालना न्यायालय ने अपने स्तर पर न करके प्रकरण में पक्षकारान की ओर से सहमति होने के कारण प्राथमिक डिक्री के संबंध में गुणावगुण पर निर्णय पारित नहीं किया बल्कि प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान की सहमति बताते हुए दिनांक 19.04.2017 को अंतिम डिक्री जारी कर दी गई है। अपीलांट द्वारा इस अंतिम डिक्री की ही अपील की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सहमति के आवेदन पत्रों एवं आदेशिका दिनांक 18.04.2017 पर अपीलांट–प्रतिवादी सं. 2 कलाराम, प्रतिवादी सं. 5 से 8/रेस्पों. सं. 6 से 9 के हस्ताक्षर एवं अगूठा निशानी नहीं पाए गए। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण में सभी पक्षकारान की लिखित सहमति नहीं थी और न ही सभी पक्षकारान दिनाक 18.04.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए। अतः अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष कि "*वकुलाय फरीकेन एवं पक्षकारान द्वारा उपस्थित होकर आवेदन इस आशय के प्रस्तुत किए कि तहसीलदार बाड़मेर से इस प्रकरण में जो विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ वह पक्षकारान के कब्जा काश्त एवं हिस्सानुसार ही है। लिहाजा तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है तो सभी पक्षकारान सहमत हैं।*" सही प्रमाणित नहीं होता है। बल्कि प्रकरण में पांच पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए इसलिए सभी पक्षकारान का विभाजन प्रस्ताव पर सहमत होना गलत अंकित किया गया है। विभाजन प्रस्ताव पर भी अपीलांट कलाराम व रेस्पो. सं. 7 देउ व रेस्पो. सं. 8 मांगी के हस्ताक्षर

नहीं हैं। आदेशिका पर पक्षकारान की तरफ से अधिवक्ताओं की उपस्थिति के रूप में हस्ताक्षर अवश्य अंकित हैं परंतु अधिवक्ताओं ने अनुपस्थित पक्षकरान की ओर से विभाजन प्रस्ताव पर सहमति अंकित करना नहीं पाया जाता है। अधिवक्ताओं की ओर से अनुपस्थित पक्षकारान के लिए सहमति बाबत कोई प्रार्थना पत्र भी अधनीस्थ न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हुआ है। इस प्रकरण में पारित अपीलाधीन अंतिम डिक्री व निर्णय समस्त पक्षकारान की सहमति के आधार पर पारित नहीं होना पाया जाता है। अतः अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपास्त किए जाने योग्य है।

अपीलांट के विरुद्ध पारित निर्णय व डिक्री उसकी अनुपस्थिति में पारित की गई है एवं विभाजन प्रस्ताव पर उसकी सहमति अंकित नहीं है। रेस्पो. की ओर से मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र धारा–5 में अंकित तथ्यों के खण्डन में कोई जबाब या काउंटर शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को देखते हुए न्याय हित में स्वीकार किया जाता है एवं अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

9 अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 19.04.2017 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार बाड़मेर से उभयपक्षकारान की उपस्थित में तैयार करवा कर पुनः मंगवाए जावें। प्राप्त विभाजन प्रस्तावों पर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की जावे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

28/5/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

10 निर्णय आज दिनांक 28.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/5/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर